स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित निर्देश

सारांश

न्यू जर्सी का भेद-भाव विरोधी क़ानून (एलएडी) नस्ल, धर्म, मूल राष्ट्र, लिंग, लैंगिक-रुझान, विकलांगता या विचारों और अन्य सुरक्षित विशिष्टताओं पर आधारित भेद-भाव और पक्षपात पर आधारित उत्पीड़न को उन स्कूलों में वर्जित करता है जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था द्वारा नहीं चलाए जाते।

विद्यार्थियों के अनुशासन से संबंधित, यह सुरक्षा नियम:

लागू स्कूल अनुशासन नीतियों के माध्यम से जाति, राष्ट्रीय मूल, धर्म, लिंग, विकलांगता और अन्य संरक्षित विशिष्टताओं के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं।

छात्रों को अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के सभी स्तरों पर भेदभाव से बचाते हैं, जिन में शामिल है कक्षा या हॉलवे में सही आचरण करना और हिरासत, निलंबन, निष्कासन, किसी और स्कूल में भेजने, या कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाही करने से संबंधित फैसला लेने के लिए मुख्य अध्यापक या कक्षा के बाहर के किसी प्राधिकारी से बात करना।

हर उस व्यक्ति पर लागू हैं जिसे ज़िले या स्कूल द्वारा छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए अधिकारित किया गया है, ऐसे व्यक्तियों में शामिल हैं अध्यापक, प्रबंधक, स्कूल का अमला, सुरक्षा कर्मचारी, स्कूल रिसोर्स अधिकारी या अनुशासन के मामले में दखल देने के लिए स्कूल की ओर से औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अधिकारित अधिकारी या अन्य एजेंट; और

किसी भी माहौल में स्कूल की ओर से स्थापित अनुशासन नियमों के संबंध में लागू हैं, स्कूल से बाहर भी।

एलएडी के अंतर्गत, छात्र अनुशासन लागू करने के मामले में भेद-भाव या पक्षपात से संबंधित उत्पीड़न के मामले में दो क़ानूनी बिन्दु लागू हो सकते हैं।

पक्षपाती व्यवहार: यह बिंदु उस मामले में जब किसी छात्र के साथ उसकी नस्ल या सुरक्षित विशिष्टताओं के आधार पर अनुशासन से संबंधित अलग व्यवहार किया जाता है, यह चाहे इसलिए हो क्योंकि बनाई हुई नीति में अलग-अलग नस्लों के संबंध में अलग-अलग व्यवहार दर्ज हैं या फिर इसलिए क्योंकि अधिकारित व्यक्ति बनाई हुई नीति को अलग-अलग नस्लों या सुरक्षित विशिष्टताओं के मामले में अलग-अलग ढंग से लागू करते हैं।

असमान प्रभाव: यह बिंदु उस मामले में लागू होता है जिस में कोई निष्पक्ष कदम या नीति किसी ख़ास नस्ल या सुरक्षित विशिष्टता वाले छात्रों को अन्य नस्लों के छात्रों के मुकाबले अधिक बुरी तरह प्रभावित करती है या विकलांग छात्रों को सेहतमंद छात्रों के मुकाबले अधिक बुरी तरह प्रभावित करती हो।

एलएडी छात्र अनुशासन लागू करने वाले प्रबंधकों को केवल उनके द्वारा पक्षपाती *नज़रिए* से लिए गए फ़ैसलों के लिए ही ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि अगर उनके लिए फ़ैसलों का पक्षपाती *प्रभाव* भी पड़ता है, तब भी वे ज़िम्मेदार होंगे। स्कूलों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे छात्र अनुशासन के मामले में पक्षपाती असमानता पर नज़र रखें और उन्हें दूर करें, जो स्कूल ऐसा करने में असफ़ल रहेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी न्यू जर्सी पक्षपात विरोधी क़ानून के अधीन तय होगी।

NJ DIVISION ON CIVIL RIGHTS

STATE OF NEW JERSEY DEPARTMENT OF EDUCATION

अधिक जानकारी के लिए

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित डीसीआर के नए निर्देश पढ़ें} या हमारे एक पृष्ठ के पैंफलेट देखें।

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित निर्देश

डाटा पर नज़र

2018-2019
न्यू जर्सी शिक्षा विभाग का
सार्वजनिक स्कूल डाटा यह दर्शाता है कि

8.9% ब्लैक

4.1% सभी लातीनी-एक्स/ई और बहु-नस्ली छात्रों में से

3.5% ब्लैक अमरीका के मूल निवासी

छात्र न्यू जर्सी में निलंबित किए गए,
2.7% वाइट छात्रों के मुकाबले ।

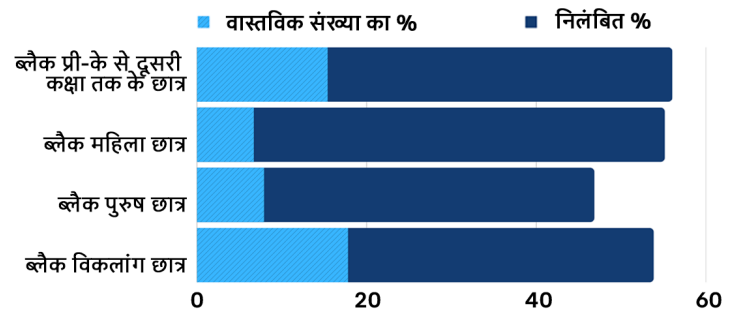

एनजे के ब्लैक छात्र भी उसी दर से निलंबित किए गए

3.3x

जिस दर से उनके वाइट साथी।

एनजे के लातीनी-एक्स/ई और बहु-नस्ली छात्र निलंबित किए गए,

1.5x

जिस दर से उनके वाइट साथी।

एनजे के निलंबित किए गए विकलांग छात्रों की संख्या

1.7x

उनके निलंबित किए गए वाइट साथियों के बराबर ही रही।

देश भर में, एलजीबीटीक्यू+ छात्र निलंबित किए गए,

1.7x

उनके निलंबित किए गैर-एलजीबीटीक्यू+ साथियों के बराबर ही रही।

बंधक

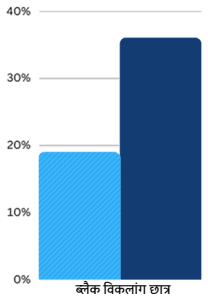

विकलांग शिक्षा एक्ट (आईडीईए) के अंतर्गत आने वाले छात्रों में ब्लैक छात्रों की संख्या 19% है, परन्तु जिन छात्रों को कोई मकैनिकल यंत्र या उपकरण के उपयोग से **स्कूल में बंधक** रखा गया है, उन में से ब्लैक छात्रों की संख्या 36% है।

क़ानून का पालन करवाने वाली संस्था के हवाले

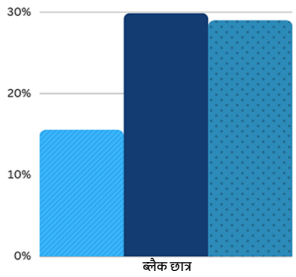

दाख़िल ब्लैक छात्रों की संख्या 15.5% है, पर स्कूलों में जिन छात्रों को **क़ानून का पालन करवाने वाली संस्था के हवाले** किया गया, उन में से ब्लैक छात्रों की संख्या 29.8% और जिन्हें हिरासत **में लिया गया, उन में से ब्लैक छात्रों की संख्या 28.9% रही।**

जो मामले क़ानून का पालन करवाने वाली संस्था के हवाले किए गए,

2018-2019 स्कूल वर्ष के दौरान, उनमें से आधे से अधिक अनिवार्य नहीं थे, मतलब उन मामलों में बंदूकें, खतरनाक हथियार, निषिद्ध पदार्थों पास होना/उनका वितरण, भेद्भावपूर्ण व्यवहार, हिंसा की धमकी, लैंगिक हमला या आपराधिक यौन संबंध, अध्यापक पर हमला या किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार शामिल नहीं था।

NJ DIVISION ON CIVIL RIGHTS

STATE OF NEW JERSEY DEPARTMENT OF EDUCATION

अधिक जानकारी के लिए
स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित डीसीआर के नए निर्देश पढ़ें} या हमारे एक पृष्ठ के पैंफलेट देखें।

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित निर्देश

पक्षपात से संबंधित नीतियों पर एक नज़र

जब कोई स्कूल छात्रों पर उनकी नस्ल, मूल राष्ट्र, लिंग, विकलांगता या किसी सुरक्षित विशिष्टता के आधार पर अलग-अलग अनुशासनिक कार्रवाही करता है, तो इसे एलएडी का उल्लंघन माना जाता जाता है, चाहे संबंधित स्कूल अधिकारी ऐसा जानबूझकर करने की जगह अनजाने में ही क्यों ना करे।

पक्षपाती व्यवहार कई बार उस समय होता है जब नीति ही पक्षपाती हो (मतलब, जब नीति किसी एक सुरक्षित श्रेणी के छात्र के साथ अलग व्यवहार करे, या ऐसा करने के लिए बनाई गई हो।

उदाहरण के लिए:

अगर किसी स्कूल की नीति अध्यापकों को यह अधिकार देती है कि वे विकलांग छात्रों को बंधक या अलग रखें, पर सेहतमंद छात्रों को नहीं, तो यह माना जाएगा कि ऐसी नीति विकलांगता के आधार पर पक्षपात करती है और एलएडी का उल्लंघन करती है।

इसी वर्दी जो बाल गूंथने, चोटी करने, कोर्नरो, अफरोज़, लोकस, बंटू नोट्स, फेड्ज़ का उपयोग करने या ऐसा कोई हेयर-स्टाइल बनाने से वर्जित करती हो जो ब्लैक संस्कृति से संबंधित है, तो उसे नस्ल के आधार पर एलएडी का उल्लंघन माना जाएगा।

जो स्कूल अपनी वर्दी बदलेगा, जिस के अधीन "राजनीतिक" या "अनुचित" वाक्यों या इशारों पर पाबंदी हो और जिस के अधीन, "ब्लैक लाइव्स मैटर" या स्टॉप एशियन हेट" लिखे हुए कपड़े तो परवान न हों पर वो छात्रों को कन्फ़ेडरेट झंडे वाले या और ऐसे कपड़े पहनने से ना रोकें जिन पर वाइट लोगों को ऊंचा दिखाता वाक्य लिखा होने या संकेत होना, तो ऐसी वर्दी को जाति के आधार पर मतभेद माना जाएगा।

जो स्कूल कहता है कि विकलांग बच्चे को निलंबित या निकाले जाने के बाद वापस आने से पहले मानसिक परीक्षा से गुज़रना पड़ेगा, लेकिन वह यह शर्त स्वस्थ बच्चों के मामले में नहीं लगाता, तो यह माना जाएगा कि ऐसा स्कूल विकलांगता के आधार पर भेदभाव करता है।

NJ DIVISION ON CIVIL RIGHTS

STATE OF NEW JERSEY DEPARTMENT OF EDUCATION

अधिक जानकारी के लिए

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित डीसीआर के नए निर्देश पढ़ें} या हमारे एक पृष्ठ के पैंफलेट देखें।

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित निर्देश

पक्षपात से संबंधित नीतियों पर एक नज़र

यदि किसी स्कूल के प्रबंधक अनुशासनीय नीतियां लागू करने से संबंधित भेदभाव का तरीका अपनाएं, तो इसे एलएडी का उलंघन माना जाएगा (जैसे कि स्कूल अधिकारी, शिक्षक, सुरक्षा कर्मचारी, स्कूल-आधारित पुलिस अधिकारी या अन्य कर्मचारी या एजेंट किसी एक सुरक्षित श्रेणी के छात्रों पर अन्य लोगों से अलग तरीके से अनुशासनीय कार्यवाही करें, चाहे बनाई गई नीति निष्पक्ष ही क्यों ना लगे।

ऐसा उलंघन उन मामलों में होता है जब स्कूल जाति, राष्ट्र, लिंग, विकलांगता या किसी सुरक्षित विशिष्टता के आधार पर एक जैसा दुराचार करने पर भी छात्रों से अलग-अलग बर्ताव करे।

उदाहरण के तौर पर:

अगर एक ब्लैक और एक एशियन छात्र आपस में झगड़ते हैं, और स्कूल ब्लैक छात्र को 5 दिन के लिए और एशियन छात्र को 2 दिन के लिए निलंबित करता है, यह स्पष्ट न होने के बावजूद कि लड़ाई किस ने शुरू की और लड़ाई के दौरान दोनों छात्रों का व्यवहार एक जैसा था, तो ऐसा मामला नस्ल आधारित पक्षपात के अधीन आ सकता है।

अगर "विघटनकारी", "अपमानजनक", या "अवज्ञाकारी" व्यवहार के कारण कोई अध्यापक वाइट छात्रों को मुख्य अध्यापक के सामने पेश नहीं करता, परन्तु समान व्यवहार के कारण वह ब्लैक, लातीनी-एक्स/ई छात्र को मुख्य अध्यापक के सामने पेश करता है, तो ऐसा मामला नस्ल और/या राष्ट्र आधारित पक्षपात के दायरे में आएगा।

ऐसे मामले भी एलएडी के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं, जब स्कूल विशेष सुरक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा किए गए नीति के उल्लंघन को नज़रअंदाज़ करते हैं, परंतु किसी अन्य सुरक्षित श्रेणी के छात्रों पर उसी नीति को सख़्ती से लागू करते हैं।

उदाहरण के तौर पर:

अगर स्कूल का अमला तंग पतलून पहनने वाली लड़कियों को "तंग कपड़े" पहनने से रोकता है परन्तु तंग पतलून पहनने वाले लड़कों को ऐसा करने से नहीं रोकता, या जिस लड़की की ब्रा का स्ट्रैप नज़र आ रहा हो उस पर अंदरूनी कपड़े ना दिखाने की पाबंदी लगाए, परन्तु जिस लड़के का बॉक्सर नज़र आ रहा हो उस पर ऐसी पाबंदी ना लगाई जाए, तो ऐसा मामला नस्ल और/या राष्ट्र आधारित पक्षपात की श्रेणी में आ सकता है।

अगर स्कूल प्रशासन वर्दी नीति का उल्लंघन करने के मामले में लगातार ब्लैक और लातीनी-एक्स/ई लड़कियों पर अनुशासनिक कार्रवाही करता है, परन्तु अगर वाइट लड़कियों ने वैसा ही पहरावा पहना हो तो उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, तो ऐसा मामला नस्ल और/या राष्ट्र आधारित पक्षपात की श्रेणी में आ सकता है।

अगर स्कूल के सुरक्षा कर्मचारी या हॉल मानीटर लगातार ब्लैक छात्रों को अपने हाल पास या छात्र पहचान पत्र दिखाने के लिए कहते हैं, परंतु वे वाइट छात्रों को बिना कोई सवाल पूछे जाने देते हैं, तो ऐसा मामला नस्ल आधारित पक्षपात की श्रेणी में आ सकता है।

NJ DIVISION ON CIVIL RIGHTS

STATE OF NEW JERSEY DEPARTMENT OF EDUCATION

अधिक जानकारी के लिए

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित डीसीआर के नए निर्देश पढ़ें} या हमारे एक पृष्ठ के पैंफलेट देखें।

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित निर्देश

स्कूल अधिकारियों द्वारा किए गए पक्षपात के सबूतों के ऊपर एक नज़र

यदि किसी स्कूल के प्रबंधक अनुशासनीय नीतियां लागू करने से संबंधित भेदभाव का तरीका अपनाएं, तो इसे एलएडी का उलंघन माना जाएगा (जैसे कि स्कूल अधिकारी, शिक्षक, सुरक्षा कर्मचारी, स्कूल-आधारित पुलिस अधिकारी या अन्य कर्मचारी या एजेंट किसी एक सुरक्षित श्रेणी के छात्रों पर अन्य लोगों से अलग तरीके से अनुशासनीय कार्यवाही करें, चाहे बनाई गई नीति निष्पक्ष ही क्यों ना लगे।

ऐसा उल्लंघन उस मामले में होता है जब स्कूल की ओर से किसी छात्र पर की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाही संबंधित छात्र की नस्ल, राष्ट्र, लिंग, विकलांगता या किसी अन्य सुरक्षित विशिष्टता से प्रभावित हो।

यह पता करने के लिए कि स्कूल की ओर से किसी छात्र पर की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाही किसी संबंधित छात्र की नस्ल, राष्ट्र, लिंग, विकलांगता या किसी सुरक्षित विशिष्टता से प्रभावित तो नहीं, डीसीआर ऐसे किसी स्कूल अधिकारियों द्वारा किए पक्षपात को दर्शाते सबूत के ऊपर विचार कर सकता है (चाहे ऐसा पक्षपात जानबूझ कर या अनजाने में किया गया हो या अस्पष्ट हो)।

उदाहरण के तौर पर:

अगर कोई अध्यापक कक्षा में उन छात्रों को नहीं रोकता जो अपने गैर-गोरे सहपाठियों पर नस्ली टिप्पणियां करते हैं और गैर-गोरे छात्रों पर ही अनुशासनिक कार्रवाही करता है, तो यह एक सबूत है कि संबंधित अनुशासनिक कार्रवाही नस्ली पक्षपात से प्रभावित है।

नस्ल या मूल पर आधारित बदमाशी या उत्पीड़न के इल्ज़ाम लगने पर अगर स्कूल उत्पीड़न, धौंस या बदमाशी (एचआईबी) संबंधी जांच नहीं करवाता और संबंधित गैर-गोरे छात्र के ऊपर एचआईबी से संबंधित अनुशासनिक कार्रवाही करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संबंधित अनुशासनिक कार्रवाही नस्ली पक्षपात पर आधारित थी।

किसी छात्र पर दुराचार करने का इल्ज़ाम लगने से लेकर उस पर अनुशासनिक कार्रवाही होने तक अगर अनुशासनिक प्रक्रिया में शामिल कोई अधिकारित व्यक्ति संबंधित छात्र के लिए नस्ली या किसी पक्षपात आधारित शब्द का उपयोग करता है तो इसे एलएडी का उल्लंघन माना जाएगा।

ऐसा व्यवहार पक्षपाती व्यवहार का केवल एक बड़ा सबूत ही नहीं होगा, बल्कि अनुशासन प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा उपयोग किए गए पक्षपाती शब्द प्रतिकूल उत्पीड़न करने वाले माहौल के संबंध में एलएडी के अंतर्गत एक अलग मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त होंगे।

NJ DIVISION ON CIVIL RIGHTS

STATE OF NEW JERSEY · THE GREAT SEAL OF THE STATE OF NEW JERSEY · DEPARTMENT OF EDUCATION

अधिक जानकारी के लिए
स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित डीसीआर के नए निर्देश पढ़ें} या हमारे एक पृष्ठ के पैंफलेट देखें।

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित निर्देश

पक्षपाती प्रक्रियाओं पर एक नज़र

अगर स्कूल अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनुशासन संबंधी कार्रवाही पक्षपाती हो, तो यह माना जाएगा कि संबंधित स्कूल ने एलएडी का उल्लंघन किया है (जैसे कि, अगर स्कूल अधिकारी एक के मुकाबले दूसरी सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्र पर अलग अनुशासनिक कार्रवाही करे, उस मामले को छोड़ कर, जिस में क़ानून अलग-अलग प्रक्रियाओं की मांग करे)।

ऐसा उल्लंघन उस समय होता है जब स्कूल अधिकारी किसी विशेष नस्ल, राष्ट्र, लिंग, विकलांगता से जूझ रहे या किसी अन्य सुरक्षित विशिष्टता वाले छात्र पर अनुशासनिक कार्रवाही करते हुए फ़ेडरल या राज्य की प्रक्रिया से संबंधित ज़रूरतें पूरी नहीं करते परन्तु वे ऐसा किसी अन्य नस्ल, राष्ट्र, लिंग, विकलांगता से जूझ रहे किसी अन्य सुरक्षित विशिष्टता वाले छात्र के मामले में ऐसा करते हैं।

उदाहरण के तौर पर:

अगर स्कूल अधिकारी आम तौर पर वाइट विकलांग छात्रों को ज़रूरी लिखित नोटिस और/या व्यवहार का कारण भेजते हैं, परन्तु वे ऐसा ब्लैक विकलांग छात्रों के मामले में नहीं करते, तो ऐसा मामला नस्ल आधारित पक्षपात के अंतर्गत आता है।

निलंबित का फ़ैसला लेने से पहले अगर स्कूल आम तौर पर गैर-काले छात्रों को अपना पक्ष पेश करने का मौक़ा देता है, परन्तु काले छात्रों को ऐसा मौका नहीं देता, तो ऐसा मामला नस्ल आधारित पक्षपात के अंतर्गत आता है।

किसी छात्र के व्यवहार को फेडरल या राज्य की प्रक्रियाओं से संबंधित ज़रूरतों से छूट दी जा सकती है या नहीं, यह फ़ैसला संबंधित छात्र की कोई भी सुरक्षा विशिष्टता प्रभावित नहीं कर सकती।

उदाहरण के तौर पर:

अगर किसी ब्लैक छात्र को निलंबित करने से पहले अनौपचारिक रूप से अपना पक्ष रखने का मौक़ा इस लिए नहीं दिया जाता क्योंकि उस की मौजूदगी के कारण "ख़तरा लगातार हो सकता है" या उस की मौजूदगी के कारण "रुकावट पैदा" हो सकती है, परन्तु हालातों की जांच में ऐसा कुछ भी होने का सबूत नहीं मिलता, तो स्कूल के व्यवहार को नस्ल या विकलांगता आधारित पक्षपात माना जा सकता है।

अगर स्कूल किसी ब्लैक प्री-स्कूल छात्र को किसी ऐसे व्यवहार के लिए निलंबित कर रहा है जो किसी के लिए न तो ख़तरा पैदा करता है और ना ही ज़ीरो टोलरेंस फ़ॉर गनज़ एक्ट का उल्लंघन करता है, तो ऐसा व्यवहार नस्ल आधारित पक्षपात के अंतर्गत आ सकता है क्योंकि राज्य का क़ानून ऐसे हालातों में प्री-स्कूल छात्रों को निलंबित करने से रोकता है।

NJ DIVISION ON CIVIL RIGHTS

अधिक जानकारी के लिए
स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित डीसीआर के नए निर्देश पढ़ें} या हमारे एक पृष्ठ के पैंफलेट देखें।

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित निर्देश

असमान प्रभाव की समीक्षा पर एक नज़र

एलएडी के अंतर्गत, स्कूल कोई भी ऐसी नीति नहीं अपना सकते जिस का ब्लैक, अन्य गैर-गोरे, विकलांग, एलजीबीटीक्यू+ छात्रों या अन्य सुरक्षा श्रेणियों के छात्रों पर असमान प्रभाव पड़े, उस मामले को छोड़ कर जिस में स्कूल यह दर्शा सके कि संबंधित नीति उच्च स्तरीय, क़ानूनी, गैर-पक्षपाती हित प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। फिर भी, स्कूल की अनुशासन नीति पर एलएडी प्रतिबंध लगा सकता है, अगर शिकायतकर्ता यह साबित कर दे कि कोई अन्य बराबर प्रभावशाली बदल है, जो कम पक्षपाती है जिस के द्वारा उच्च स्तरीय, वैध, गर-पक्षपाती हित प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे असमान प्रभाव से संबंधित पक्षपात कहते हैं।

किसी नीति या कार्य-शैली का असमान प्रभाव पड़ता है अगर उसे लागू करने पर किसी सुरक्षित श्रेणी के छात्र पर असमान प्रभाव पड़े या असमान प्रभाव पड़ने की उम्मीद हो (जैसे, यह किसी विशेष सुरक्षित श्रेणी के छात्रों को अन्य श्रेणी के मुकाबले अधिक प्रभावित करती हो)।

उदाहरण के तौर पर:

एक नामवर संगठन ने इस बात के सबूत प्रदान किए हैं कि "ज़ीरो टोलरेंस" स्कूल अनुशासन नीतियों के अंतर्गत वाइट छात्रों के मुकाबले ब्लैक और अन्य गैर-गोरे छात्र लगातार असमान दर से निलंबित किए और निकाले जाते हैं। इस सबूत की रौशनी में, कोई स्कूल अगर ज़ीरो टोलरेंस नीति अपनाता है, तो इस का असमान प्रभाव पड़ सकता है।

किसी स्कूल का हित उस मामले में बहुत बड़ा होता है, जिस मामले में इस के मुख्य हित का सीधा संबंध स्कूल की कार्य-शैली के साथ हो। किसी स्कूल का हित वैध होता है जब यह वास्तविक हो और झूठा या दिखावटी न हो। किसी स्कूल का हित पक्षपाती नहीं होता, जब प्रामाणिकता सुरक्षित विशिष्टताओं के आधार पर ख़ुद भेद-भाव नहीं करती।

उदाहरण के तौर पर:

सभी छात्रों और अध्यापकों के लिए एक सुरक्षित शिक्षा वातावरण पैदा करना स्कूलों के लिए एक बड़ा, वैध, पक्षपात ना करने वाला कार्य है।

स्कूल का यह लक्ष्य पूरा करने के लिए इस में सभी छात्रों और अध्यापकों के लिए सुरक्षित शिक्षा माहौल पैदा हो सके, कोई नीति या कार्य-शैली केवल हालत में ज़रूरी है, अगर वह सभी छात्रों और अध्यापकों के लिए सुरक्षित शिक्षा माहौल बनाने का लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से पूरा करती हो। साथ ही, जिस नीति या कार्य-शैली का असमान प्रभाव पड़ता हो, अगर स्कूल उसे प्रामाणिक ठहराता है तो इसके लिए उसे सटीक सबूत देने होंगे (मतलब, ऐसे सबूत संभावना आधारित या काल्पनिक ना हों)।

उदाहरण के तौर पर:

अगर कोई स्कूल यह दावा करता है कि छात्रों के अवज्ञापूर्ण व्यवहार से संबंधित उसकी "ज़ीरो टोलरेंस" नीति सुरक्षित शिक्षा माहौल स्थापित करने के लिए ज़रूरी है, तो उसे यह साबित करने के लिए सटीक सबूत देने होंगे कि उस की ज़ीरो टोलरेंस नीति प्रभावशाली ढंग से छात्रों और अध्यापकों के लिए एक सुरक्षित शिक्षा माहौल स्थापित करती है।

NJ DIVISION ON CIVIL RIGHTS

अधिक जानकारी के लिए

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित डीसीआर के नए निर्देश पढ़ें} या हमारे एक पृष्ठ के पैंफलेट देखें।

स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित निर्देश

असमान प्रभाव डालने वाली नीतियों पर एक नज़र

एलएडी के अंतर्गत, स्कूल कोई भी ऐसी नीति नहीं अपना सकते जिस का ब्लैक, अन्य गैर-गोरे, विकलांग, एलजीबीटीक्यू+ छात्रों या अन्य सुरक्षा श्रेणियों के छात्रों पर असमान प्रभाव पड़े, उस मामले को छोड़ कर जिस में स्कूल यह दर्शा सके कि संबंधित नीति उच्च स्तरीय, क़ानूनी, पक्षपात-रहित हित प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। फिर भी, स्कूल की अनुशासन नीति पर एलएडी प्रतिबंध लगा सकता है, अगर शिकायतकर्ता यह साबित कर दे कि कोई अन्य बराबर प्रभावशाली बदल है, जो कम पक्षपाती है जिस के द्वारा उच्च स्तरीय, वैध, गर-पक्षपाती हित प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे असमान प्रभाव से संबंधित पक्षपात कहते हैं।

किसी नीति का असमान प्रभाव पड़ सकता है, अगर:

स्कूल ने **पहले ही नीति लागू की हो** और उस का अपना अनुशासनिक डाटा पक्षपात दर्शाए, या

स्कूल **कोई नई नीति अपनाए,*यह सबूत मौजूद होने के बावजूद*** कि यह नीति या कार्य-शैली किसी विशेष सुरक्षित श्रेणी के छात्रों को औरों के मुकाबले अधिक प्रभावित करती है।

नीचे कुछ उन नीतियों या कार्य-शैलियों की सूची दी गई है, जिन से संबंधित यह सबूत मौजूद हैं कि उन का ब्लैक, अन्य गैर-गोरे, विकलांग, एलजीबीटीक्यू+ या अन्य सुरक्षित श्रेणियों के छात्रों पर असमान प्रभाव पड़ सकता है।

- ज़ीरो टोलरेंस नीतियां;
- अनुशासन नीतियां जो ना-बालिगों को निलंबित करने या निकालने की आज्ञा देती हैं या मसले के व्यक्तिगत मूल्यांकन, जैसे कि "अवज्ञापूर्ण", "अपमानजनक" या "दुराचारी" व्यवहार के आधार पर किसी को निलंबित करने की आज्ञा देती हैं।
- अनुशासन से संबंधित बिंदु लागू करने या उनका पालन करवाने के लिए स्कूल द्वारा स्कूल संसाधन अधिकारियों या क़ानून का पालन करवाने वाले अन्य अधिकारियों का उपयोग करना, विशेष रूप से ऐसे दुराचार के मामले में जिस में छात्र ने ना तो हिंसा की हो और ना ही नशीले पदार्थों का उपयोग किया हो;
- स्कूल द्वारा किसी को बंधक बनाना या अलग कर देना, जिसे कभी-कभी "आईसोलेशन रूम" का उपयोग करना भी कहते हैं; और
- जो छात्र स्कूल को बिगड़ैल लगते हैं, स्कूल द्वारा उन्हें डीओई के नियमों में दर्ज प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अदालत या क़ानून का पालन करवाने वाली संस्था के हवाले करना, इस में व्यक्तिगत आधार पर, मामले के हिसाब से मामला अदालत में भेजने की ज़रूरत को निर्धारित करना भी शामिल है।

NJ DIVISION ON CIVIL RIGHTS

STATE OF NEW JERSEY DEPARTMENT OF EDUCATION

अधिक जानकारी के लिए
स्कूल अनुशासन में भेद-भाव से संबंधित डीसीआर के नए निर्देश पढ़ें} या हमारे एक पृष्ठ के पैंफलेट देखें।